समाज कल्याण विभाग
मूक एवं बधिर विद्यालय परिसर,
दिल्ली गेट, नई दिल्ली–02

अतारांकित प्रश्न संख्या:- 195

दिनांक: - 22.03.2018

प्रश्नकर्ता: - श्री विजेन्द्र गुप्ता

क्या समाज कल्याण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि

	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सत्य है कि उत्तरी, पूर्वी व दक्षिणी दिल्ली नगर निगमों ने अपने यहाँ से दी जाने वाली वृद्धावस्था पेन्शन के रिकॉर्ड दिल्ली सरकार को वर्ष 2016–17 में सौंप दिये थे	जी हां। किंतु नगर निगमों से 2016–17 में सौंपे गए वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित रिकार्ड अव्यवस्थित व अपूर्ण हैं।
(ख)	किस–किस निगम द्वारा कितने–कितने पेन्शनधारियों के रिकॉर्ड उपलब्ध कराए गए;	नगर निगमों द्वारा सौंपा गया रिकार्ड अव्यवस्थित व अपूर्ण होने के कारण, अलग–अलग निगमों द्वारा उपलब्ध कराए पेंशनधारियों से संबंधित आंकडे सुलभ नहीं हैं। परंतु नगर निगमों द्वारा आयोजित सत्यापन कैंपों में कुल 13305 वृद्ध एवं कुल 688 विकलांग व्यक्तियों की सूचना प्राप्त हुई तथा दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित मैगा कैम्प में कुल 1494 व्यक्तियों ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए संपर्क किया।
(ग)	क्या दिल्ली सरकार ने उन्हें पेन्शन देनी प्रारम्भ कर दी है,	जी हां, सभी योग्य पाए गए नगर निगम के लाभार्थियों को पेंशन उपलब्ध कराई जा रही है।
(घ)	कितनी पेन्शन किस–किस श्रेणी में उपलब्ध कराई जा रही है ;	विवरण निम्न प्रकार है– वृद्धावस्था पेंशन– 9533 विकलांग पेंशन– 723
(ड)	यदि पेन्शन उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, तो इसके क्या कारण हैं; और	केवल उन्हीं आवेदकों को पेंशन उपलब्ध नहीं कराई जा रही है जो पेंशन हेतु निर्धारित पात्रता को पूरा नहीं करते हैं।
(च)	यह पेन्शन कब तक चालू हो जाएगी ?	सभी योग्य पाए गए नगर निगम के लाभार्थियों को पेंशन सुचारू रूप से दी जा रही है।

Director (Social Welfare)
Social Welfare Department
Govt. of NCT of Delhi
G.L.N.S. Complex, Delhi Gate
New Delhi-110002